भारतीय स्टेट बँक
भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

शेयर आणि बॉन्ड विभाग, कॉर्पोरेट केन्द्र, 14वा माळा, स्टेट बँक भवन,
मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021.
शेयर एवं बॉन्ड विभाग, कारपोरेट केन्द्र, 14वाँ तल, स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021.
Shares & Bonds Department, Corporate Centre, 14th Floor, State Bank Bhavan,
Madame Cama Road, Mumbai - 400 021.

Tel. : 91-22-2274 0841 - 48 (Eight Lines) | **Fax :** 91-22-2285 5348 | **E-mail:** gm.snb@sbi.co.in

Date : November 19, 2016

Ref. No.: CC/S&B/SA/1816

The Executive Director
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001.

The Executive Director
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Plot No.C/1, G- Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra – East,
Mumbai – 400051.

Dear Sir/Madam,

Sub: **SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**
General Meeting of Shareholders of the Bank
Intimation and Submission of copy of the Notice

Further to our letter No. CC/S&B/SA/1699, dated October 29, 2016 and in terms of Regulation 4(2)(b)(i) of the Listing Regulations, it has been decided to issue a Notice dated 16.11.2016, informing our shareholders that General Meeting of Shareholders of the State Bank of India will be held at the "**Y. B. Chavan Auditorium**", Y. B. Chavan Centre, General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021 (Maharashtra) on Tuesday, the 20th December, 2016 at 3.00 p.m to transact the businesses as stated therein.

2. We have arranged for the publication of the said notice in Gazette of India, in accordance with Regulation 21 of the State Bank of India General Regulations, 1955 and copy of the same is enclosed for your information and record.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,

Sanjay M. Abhyankar
Vice President – Compliance
(Company Secretary)

Encl.: as above.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]	**नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 19, 2016/कार्तिक 28, 1938**
No. 413]	**NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 19, 2016/KARTIKA 28, 1938**

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

नोटिस

मुम्बई, 19 नवम्बर, 2016

संदर्भ सं. बीओडी एंड जीओ/वीकेके/739.—एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की साधारण सभा मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को अपराह्न 3.00 बजे, "वाई. बी. चव्हाण ऑडिटोरियम", वाई. बी. चव्हाण केन्द्र, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में आयोजित की जाएगी:

1. निम्नलिखित पर विचार करने और यदि उचित समझा गया, तो उसे संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के **एक विशेष प्रस्ताव के रूप में** पारित करना :

"**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियमन, 1955 के साथ पठित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (यहाँ इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा/अथवा अन्य दूसरे प्राधिकरण, जिनकी इस संबंध में आवश्यकता हो सकती है, के अनुमोदन, सहमति और संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अध्यधीन और उससे संबंधित ऐसे निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अध्यधीन जो उनके द्वारा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं और जिनके संबंध में बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जा सकती है औरजो सेबी (पूंजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2009, यथा संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों और समय-समय पर अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विनियमनों के अध्यधीन और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 ("सूचीकरण विनियमन"), शेयर बाजारों, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर/जीडीआर सूचीबद्ध किए गए हैं, के साथ किए गए सूचीबद्ध करारों के अध्यधीन बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड को

[यहाँ इसके बाद इसे “बोर्ड” कहा गया है, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियमन, 1955 (सूचीकरण विनियमन) के विनियम 46 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत गठित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति सम्मिलित हुई समझी जाएगी] ₹5681 करोड़ (पाँच हजार छह सौ इक्यासी करोड़ रुपए) (प्रीमियम सहित) तक की कुल राशि के प्रति ₹1/- के नकद मूल्य के इक्विटी शेयर, ऐसी कीमत पर और ऐसी संख्या में, जिसे सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा, भारत सरकार के लिए अधिमानी आधार पर सृजित, प्रस्तावित और निर्गम करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाती है।"

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** सेबी आईसीडीआर विनियमन के अनुसार निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबद्ध तिथि इस साधारण सभा की तिथि से 30 दिन पहले की तिथि होगी।"

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** शेयरों के निर्गम, आबंटन और उनको सूचीबद्ध करने के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और संस्वीकृतियां प्रदान करने/संस्वीकृत करने के समय इस प्रस्ताव में इस प्रकार के किसी ऐसे संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं अधिकार बोर्ड के पास रहेगा जो भारत सरकार/भा.रि.बैंक/सेबी/शेयर बाजार, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं या अन्य दूसरे उपयुक्त प्राधिकरण के लिए आवश्यक हो सकते हैं या उनके द्वारा लागू किए जा सकते हैं और जिनके संबंध में बोर्ड द्वारा सहमति दी गई हो।"

2. निम्नलिखित पर विचार करने और यदि उचित समझा गया, तो उसे संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के **एक विशेष प्रस्ताव के रूप में** पारित करना :

"**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियमन, 1955 के साथ पठित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (यहाँ इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा/अथवा अन्य दूसरे प्राधिकरणों, चाहे वे भारत में हो या विदेश में हो,और उनके द्वारा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और आशोधनों जो उनके द्वारा किए जा सकते हैं, के अध्यधीन, के अनुमोदन, सहमति और संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अध्यधीन और उससे संबंधित ऐसे निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अध्यधीन जो उनके द्वारा ऐसे अनुमोदन(नों), सहमति(यों) और संस्वीकृति(यों) प्रदान करने के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं और जिनके संबंध में बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड (यहाँ इसके बाद इसे बोर्ड कहा गया है) द्वारा सहमति प्रदान की जा सकती है और जो सेबी (पूंजी का निर्गमन एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (सूचीकरण विनियमन) के प्रावधानों और प्रयोज्य नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, परिपत्रों, सेबी, आरबीआई तथा/अथवा अन्य संबद्ध प्राधिकरणों, चाहे भारत में हो या विदेश में हो, द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अध्यधीन और शेयर बाजारों, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर/जीडीआर सूचीबद्ध किए गए हैं, के साथ किए गए सूचीबद्ध करारों के अध्यधीन “बोर्ड” को निम्नलिखित के संबंध में बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।”

क. प्रति ₹1/- के इक्विटी शेयर तैयार, ऑफ़र, इश्यू और आबंटित करने के लिए, जो ₹15,000 करोड़ (पन्द्रह हजार करोड़ रुपए) या ऐसी राशि, जिसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जा सकती है, से अधिक के नहीं होंगे और जो सार्वजनिक निर्गम के रूप में (अर्थात अतिरिक्त पब्लिक ऑफ़र) या प्राइवेट प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर)/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) सहित तथा/अथवा अन्य दूसरे ढंग से या उनके संमिश्रण से, जारी किया जाएगा जिसे बोर्ड द्वारा इस शर्त के अध्यधीन तय किया जा सकता है कि बैंक की इक्विटी पूँजी में भारत सरकार की शेयरधारिता किसी भी समय 52% से कम नहीं होगी।

ख. प्रयोज्य नियमों और विनियमों तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के अंतर्गत भारत सरकार और आरबीआई के अनुमोदन के अध्यधीन अपने विवेकाधिकार से शेयरों की संख्या एवं ढंग, श्रेणियों की संख्या, कीमत, डिस्काउंट/प्रीमियम, कर्मचारियों, विद्यमान शेयरधारकों तथा/अथवा अन्य दूसरे व्यक्तियों के लिए आरक्षण, जिसे बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है और जैसी सेबी विनियमों के अंतर्गत व्यवस्था की गई है तथा ऐसे इश्यू के लिए समय निर्धारित करना।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों को क्यूआईपी/एफपीओ/अन्य दूसरे ढंग से जिसे भारत सरकार और आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, जिन्हें डीमैट स्वरूप में ऑफ़र और आबंटित किए जाएंगे और एनआरआई, एफआईआई तथा/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को यथा जारी एवं आबंटित इक्विटी शेयरों/जीडीआर/एडीआर आरबीआई/सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नियमों और विनियमों के अध्यधीन रहेंगे।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि क्यूआईपी/एफपीओ/जीडीआर/एडीआर तथा/अथवा अन्य दूसरे ढंग से या उनके संमिश्रण, जिसे भारत सरकार और आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, के रूप में ऑफ़र और आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर हर प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे और ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि क्यूआईपी के मामले में, केवल पात्र संस्थात्मक क्रेताओं (क्यूआईबी) को ही इक्विटी शेयरों का आबंटन सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अंतर्गत निर्धारित कीमत निर्धारण फार्मूले के अनुसार निर्धारित कीमत पर डिस्काउंट, यदि कोई हो, से किया जाएगा और यह डिस्काउंट 5% से अधिक नहीं होगा, या ऐसा डिस्काउंट संकल्प पारित करके तय किया जा सकता है और संबद्ध तिथि समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियम के प्रावधानों के अनुसार होगी।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड की सहमति के अनुसार शेयरों को जारी, आबंटित और उनको सूचीबद्ध करने हेतु बोर्ड के पास इस प्रस्ताव में ऐसे किसी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं अधिकार रहेगा जिन्हें भारत सरकार/आरबीआई/सेबी/ऐसे शेयर बाजारों, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य प्राधिकरणों द्वारा उनके अनुमोदनों, सहमतियों अनुमतियों और संस्वीकृतियों के समय आवश्यक हो सकते हैं या लागू किए जा सकते हैं।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, बोर्ड के पास ऐसे सभी कार्य शुरू करने और ऐसी सभी कार्रवाइयों, विलेखों, मामलों और वस्तुओं के लिए जो पूर्ण रूप से उनके विवेकाधिकार में हो सकती हैं, आवश्यक, उचित और वांछनीय समझने और ऐसे विवाद, कठिनाई या संदेह का निपटान करने जो इक्विटी शेयरों के आबंटन के संबंध में उठ सकते हैं और आगे ऐसी सभी कार्रवाइयां, विलेख, मामले या वस्तुओं को करने, सभी दस्तावेजों और लिखावटों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने, जो आवश्यक, वांछनीय या शीघ्र हो और जो उनके पूर्ण विवेकाधिकार से शेयरधारकों की सहमति या अनुमति की मांग करने की आवश्यकता के बिना उचित, समुचित या वांछनीय समझी जाती हों या अंत में इस अभिप्राय के साथ प्राधिकृत करने के लिए कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी को इस संबंध में अपना स्पष्ट अनुमोदन दिया हुआ समझने का प्राधिकार रहेगा और उसे एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड के पास यहाँ उसे प्रदत्त किए गए सभी अधिकारों या किसी भी अधिकार को किसी भी निदेशक, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या बैंक के अन्य ऐसे अधिकारी की समिति को, जिसे उक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझा गया हो, प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार रहेगा और उसे एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

कॉरपोरेट केन्द्र,
स्टेट बैंक भवन
मादाम कामा रोड
मुंबई – 400 021

दिनांक : 16.11.2016

अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./52/16 (39)]

व्याख्यात्मक विवरण

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 के अनुसार किए जाने वाले आवश्यक प्रकटीकरण

संकल्प सं. 1 :

क) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य :

बेसल III के अंतर्गत सीईटी-1 पूँजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने हेतु, भारत सरकार ने भारत सरकार के पक्ष में, ईक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के द्वारा बैंक की पूंजी में ₹5681 करोड़ (पाँच हजार छह सौ इक्यासी करोड़ रुपए) (प्रीमियम सहित) का निवेश करने का निर्णय लिया है।

ख) निर्गम में अभिदान करने हेतु प्रवर्तक का प्रस्ताव :

ईक्विटी शेयर के संपूर्ण अधिमानी निर्गम में बैंक के प्रवर्तक, भारत सरकार द्वारा अभिदान किया जाएगा।

ग) अधिमानी निर्गम के पहले और बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का पैटर्न :

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम (इश्यू) से पूर्व (11.11.2016 को)		निर्गम (इश्यू) के पश्चात	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
i	प्रवर्तक की शेयरधारिता (भारत सरकार)	467,16,34,652	60.18	**	**
ii	जनता की शेयरधारिता	309,11,42,390	39.82	309,11,42,390	**
iii	योग	776,27,77,042	100.00	**	100.00

** भारत सरकार को आबंटित किए जाने वाले कुल शेयरों की संख्या की गणना, सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) में निर्धारित मूल्य निर्धारण सूत्र के अनुसार,"प्रासंगिक तारीख" को निर्धारित किए जानेवाले निर्गम के मूल्य के आधार पर की जाएगी। उपरोक्त विनियम 76(1) के अनुसार, निर्गम का मूल्य, "प्रासंगिक तारीख" से 26 सप्ताह पूर्व और "प्रासंगिक तारीख" से 2 सप्ताह पूर्व की अवधि के दौरान शेयर बाजार में, भारतीय स्टेट बैंक के उद्धृत बंदी मूल्य के उच्च और न्यून साप्ताहिक मूल्य के उच्चतर औसत मूल्य से कम नहीं होगा। "प्रासंगिक तारीख", अधिमानी आबंटन पर विचार करने हेतु, आयोजित शेयरधारकों की साधारण सभा की तिथि से 30 दिन पूर्व की तारीख होती है और यदि यह तारीख अवकाश के दिन/सप्ताहांत के दिन पड़ती है, तो इससे पहले की तिथि "प्रासंगिक तारीख" के रूप में गिनी जाएगी। उपर्युक्त उद्देश्य से 'शेयर बाजार' कोई भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार होगा जिसमें ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए जाते हैं और जिसमें "प्रासंगिक तारीख" से 26 सप्ताह पूर्व की अवधि के दौरान, बैंक के शेयरों की उच्चतम मात्रा का व्यापार किया गया हो।

इस प्रकार निर्गम किए जानेवाले शेयरों का प्रीमियम सहित कुल मूल्य ₹5681 करोड़ (पाँच हजार छह सौ इक्यासी करोड़ रुपए) से अधिक नहीं होगा। उदाहरणार्थ, एक अनुमानित "प्रासंगिक तारीख" के आधार पर गणना करने पर, ₹258.00 के कल्पित निर्गम मूल्य पर, अधिमानी आबंटन के पश्चात भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या 489,18,28,450 होगी और अधिमानी आबंटन के पश्चात, बैंक के शेयरों की कुल संख्या 798,29,70,840 होगी और इसलिए अधिमानी आबंटन के पश्चात भारत सरकार की शेयरधारिता 61.28% होगी। तथापि, निर्गम किए जाने वाले शेयरों की वास्तविक संख्या और

तत्पश्चात शेयरधारिता का पैटर्न, वास्तविक "प्रासंगिक तारीख" के आधार पर, निर्धारित किए जानेवाले वास्तविक निर्गम मूल्य के आधार पर घट-बढ़ सकता है।

घ) अधिमानी निर्गम पूरा होने की समय-सीमा :

शेयरधारकों द्वारा पारित इस संकल्प के अनुसार, इस संकल्प को पारित किए जाने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के अंदर आबंटन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। परन्तु यदि किसी विनियमन प्राधिकारी अथवा केंद्र सरकार से कोई अनुमोदन अथवा अनुमति बकाया हो, तो 15 दिन की इस अवधि की गणना ऐसे आवेदन पर आदेश की तिथि से या अनुमोदन अथवा अनुमति की तिथि से,जैसी भी स्थिति हो, की जाएगी।

ङ) प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान, अधिमानी निर्गम के पश्चात उनके द्वारा धारित पूंजी का प्रतिशत और अधिमानी निर्गम के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो:

चूंकि संपूर्ण निर्गम, बैंक के प्रमुख शेयरधारक और प्रवर्तक भारत सरकार को आबंटित किया जाना प्रस्तावित है, अत: अधिमानी आधार पर, प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के परिणामस्वरूप नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

प्रस्तावित आबंटिती की पहचान	आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों की संख्या	निर्गम पश्चात शेयरधारिता का %
भारत सरकार जिसका प्रतिनिधित्व भारत के राष्ट्रपति (प्रवर्तक) द्वारा किया जाता है।	** उपर्युक्त (ग) में की गई टिप्पणी के अनुसार	** उपर्युक्त (ग) में की गई टिप्पणी के अनुसार

(च) बैंक के ईक्विटी शेयर छह महीने से भी अधिक की अवधि से सूचीबद्ध हैं और तदनुसार सेबी आईसीडीआर के विनियम 76(3) और 78(5) के प्रावधान और सेबी आईसीडीआर के विनियम 73 (1) (च) और (छ) के अंतर्गत प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(छ) प्रस्तावित विशेष संकल्प के अनुसरण में भारत सरकार को निर्गम और आबंटित किए जाने वाले सभी ईक्विटी ट्रेडिंग के लिए अनुमोदन होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक अवरुद्ध रहेंगे और अधिमानी आबंटन से पूर्व भारत सरकार की समस्त शेयरधारिता, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार ट्रेडिंग के लिए अनुमोदन होने की तिथि से छहमहीने की अवधि तक अवरुद्ध रहेगी।

(ज) निर्गम, सेबी आईसीडीआर विनियमन अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है, इस बात को प्रमाणित करने वाले सांविधिक लेखा परीक्षक(कों) द्वारा जारी प्रमाणपत्र, 20.12.2016 की साधारण सभा में रखा जाएगा।

भारत सरकार द्वारा धारित सभी ईक्विटी शेयर गैर-कागजी स्वरूप में हैं और बैंक उन शेयर बाजारों में जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, के सूचीबद्धता करार में निर्दिष्ट ईक्विटी शेयर्स की निरंतर सूचीबद्धता संबंधी शर्तों का अनुपालन करता है।

<u>संकल्प क्र. 2:</u>

चूंकि सार्वजनिक निर्गम/अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी)/वैश्विक निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) रसीद (जीडीआर) या दोनों को मिलाकर या किसी अन्य स्वरूप में ₹15000 करोड़ (पन्द्रह हजार करोड़ रुपए) तक की पूंजी जुटाने का अनुमोदन 25.02.2017 को समाप्त हो जाएगा, हम सार्वजनिक निर्गम (अर्थात अतिरिक्त पब्लिक ऑफ़र, प्राइवेट प्लेसमेंट, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी)/वैश्विक निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) रसीद (जीडीआर)/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) या दोनों को मिलाकर या किसी अन्य स्वरूप में ₹15000 करोड़ तक की पूंजी जुटाने का नए अनुमोदन करने का अनुरोध करते हैं।

सार्वजनिक निर्गम (अर्थात अतिरिक्त पब्लिक ऑफ़र (एफपीओ) या प्राइवेट प्लेसमेंट, क्यूआईपी, जीडीआर/एडीआर सहित तथा/अथवा किसी अन्य स्वरूप(पों) या उसे(उन्हें) मिलाकर जैसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

बेसल III की भारत में पूंजी अपेक्षाओं को लागू करने के दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध रूप में प्रभावी हो गए हैं। ये दिशानिर्देश 31 मार्च 2019 से पूर्ण रूप में लागू हो जाएंगे। बैंक का समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 30 सितंबर 2016 को 13.94% जिसमें सीईटी-I पूंजी 10.28% है। बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने निर्णय लिया है कि आरबीआई

बेसल III परिवर्ती व्यवस्थाओं के अनुसार न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखा जाए। तथापि, आरडब्ल्यूए में वृद्धि की धारणा और लाभ पुनर्निवेश को देखते हुए यह आशा है कि बैंक को वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 18 में अतिरिक्त पूंजी जुटाने की आवश्यकता हो सकती है।

बैंक को पर्याप्त पूंजी की आवश्कता होगी तभी वह परिसंपत्तियों में प्रत्याशित वृद्धि कर पाएगा और पूंजी पर्याप्तता की स्थिति विशेषकर पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) अर्थात 0.625% की अपेक्षा को प्रत्येक वर्ष वित्त वर्ष 15-16 से लेकर वित्त वर्ष 18-19, 01.04.2016 से 01.04.2019 की प्रत्येक वर्ष की 0.15% की डी-एसआईबी पूंजी अपेक्षा और काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर (सीसीसीबी) तक के लिए पूरा कर पाएगा। तदनुसार, चालू वर्ष तथा आने वाले वर्षों के दौरान व्यवसाय वृद्धि को देखते हुए और अधिक पूंजी विशेषकर टियर–I पूंजी की आवश्यकता होगी। शुरुआत में उद्दिश्ट पूंजी अनुपातों को लक्षित करने से वित्त वर्ष 19 की पूंजी अपेक्षाओं की सुचारू रूप से पूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। विभिन्न विकल्पों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों को देखते हुए बैंक ने ₹15000 करोड़ (रुपये पंद्रह हजार करोड़) या भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित राशि के ₹ 1 प्रति के इक्विटी शेयर जारी करके बाजार से पूंजी जुटाने की योजना बनाई है बशर्ते बैंक की शेयर पूंजी में भारत सरकार की शेयरधारिता सार्वजनिक निर्गम (अर्थात अतिरिक्त पब्लिक ऑफ़र, प्राइवेट प्लेसमेंट, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी)/वैश्विक निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) रसीद (जीडीआर)/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर)) या दोनों को मिलाकर या किसी अन्य स्वरूप मेंभारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार की बाजार से पूंजी जुटाने और उसके स्वरूप संबंधी सिफारिशों को देखते हुए, किसी समय 52% से कम न हो जाए, और शेयर बाजारों के सूचीकरण विनियमों के विनियम 41 के अनुसार शेयरधारकों द्वारा, उन्हें समानुपातिक आधार पर शेयरों पूंजी का प्रस्ताव न किए जाने के कारण, कोई और प्रतिभूति पूंजी जारी करने के लिए अनुमोदन करना जरूरी न हो जाए। एफ़पीओ/ क्यूआईपी/जीडीआर/एडीआर तथा/अथवा अन्य दूसरे प्रकार या उनके संमिश्रण के रूप में इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए भारत सरकार और आरबीआई द्वारा यथा अनुमोदित विस्तृत निबंधनों एवं शर्तों को विभिन्न मध्यस्थों और ऐसे अन्य संबंधितों तथा प्राधिकारियों के साथ चर्चा करके बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिनकी प्रचलित बाजार परिस्थितियों और अन्य संबंधित घटकों पर विचार करने हेतु आवश्यकता हो सकती है।

इस विशेष संकल्प में इक्विटी शेयर/जीडीआर/एडीआर एक या एक से अधिक श्रृंखला में,एक साथ या अनेक बार, ऐसी कीमत या ऐसी कीमतों पर, और ऐसे निवेशकों, जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है, और जिन्हें बोर्ड अपने विवेकाधिकार से उचित समझता है, को जारी करने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। निदेशक बोर्ड सार्वजनिक निर्गम (अर्थात अतिरिक्त पब्लिक ऑफ़र, प्राइवेट प्लेसमेंट, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी)/वैश्विक निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) रसीद (जीडीआर)/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर)) या दोनों को मिलाकर या किसी अन्य स्वरूप सभी संबंधित सांविधिक, विनियामक या अन्य दूसरे लागू दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों के अनुपालन के अध्यधीन इस नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प के लिए आपके अनुमोदन की सिफारिश करता है।

टिप्पणियां

(i) प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची :

बैंक के पात्र शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्चियां हमारे स्थानीय प्रधान कार्यालयों में मुख्य महाप्रबंधक के सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालयों में, बैंक की वेबसाइट: www.statebankofindia.com/www.sbi.co.in पर कॉरपोरेट गवर्नेन्स/शेयरधारक इन्फो लिंक के अंतर्गत और निम्नलिखित कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं:

(1) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड़, मुंबई- 400021– टेलीफोन नं. (022)-22740841-0848.

(2) मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लि., यूनिट : भारतीय स्टेट बैंक, प्लॉट नं. बी-5, पार्ट-बी, क्रास लेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400093, टेलीफोन नं. (022)-66712201-03.

उपस्थिति पर्चियां दिनांक 20.12.2016 को साधारण सभा के स्थल पर भी उपलब्ध रहेंगी।

विधिवत रूप से भरे हुए प्रॉक्सी फॉर्म और साथ में मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (जहां लागू हो) जो हस्ताक्षरित हो, बैंक के शेयर एवं बॉण्ड विभाग, 14वीं मंजिल, भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई-400021 में दिनांक 12.12.2016 को या उससे पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए।

(ii) प्राधिकृत प्रतिनिधि

साधारण सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाली शेयरधारक कंपनी को इसके लिए एक विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव की एक प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा जिस बैठक में इस प्रकार का संकल्प पारित किया गया है, बैंक के निम्नलिखित दो कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय में दिनांक 15.12.2016को या उससे पूर्व जमा करानी चाहिए :

(i) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, 14वीं मंजिल, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई- 400021

(ii) मुख्य महाप्रबंधक का सचिवालय, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, सनर्जी, सी-6, जी ब्लाक, बान्द्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई – 400051.

STATE BANK OF INDIA

(Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

NOTICE

Mumbai, the 19th November, 2016

Ref. No. BOD & GO/VKK/739.—Notice is hereby given that a General Meeting of the Shareholders of State Bank of India will be held at "Y B Chavan Auditorium", Y. B. Chavan Centre, General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021 (Maharashtra) on Tuesday, the 20th December, 2016, at 3.00 p.m.to transact the following businesses:

1. To consider and if thought fit, pass with or without modification(s), the following resolutions(s) as a **special resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the State Bank of India Act, 1955 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the State Bank of India General Regulations, 1955 and subject to the approval, consent and sanction, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GoI), Stock Exchanges, Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Central Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended from time to time (SEBI ICDR Regulations) and the Guidelines framed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations") entered into with the Stock Exchanges where the equity shares/GDRs of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Central Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include the Executive Committee of the Central Board constituted under Section 30 of the Act read with Regulation 46 of the State Bank of India General Regulations, 1955, and/or any other Committee of Directors duly authorized for the purpose), to exercise its powers including the powers conferred by this resolution to create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of Rupee.1/- each for cash at such price to be determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, aggregating to the tune of up to Rs. 5681 crore ((Rupees Five thousand six hundred eighty one crore only) (including premium), on preferential basis to the "**Government of India**."

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant date for determination of the Issue Price shall be the date thirty days prior to the date of the General Meeting in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be offered and allotted by way of Preferential issue shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

2. To consider and if thought fit, pass with or without modification(s), the following resolutions(s) as a **special resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the State Bank of India Act 1955 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the State Bank of India General Regulations, 1955 and subject to the approval, consent and sanction, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GoI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority(ies), whether in India or abroad, as may be required in this regard and subject to terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them, if any, in granting such approval(s), consent(s) and sanction(s) and approval of by the Central Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board") and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations") and applicable Rules, Regulations, Guidelines, Circulars, Notifications issued by SEBI, RBI and/or and all other relevant authorities, whether in India or abroad, from time to time and subject to the Listing Regulations entered into with the Stock Exchanges where the equity shares/GDRs of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to "the Board":-

a. to create, offer, issue and allot, such number of Equity Shares of Re.1 each, not exceeding Rs. 15,000 crore (rupees fifteen thousand crore) or such amount as may be approved by GoI & RBI, by way of public issue (i.e. Further Public Offer- FPO) or Private Placement, including Qualified Institutional Placement (QIP)/Global Depository Receipt (GDRs)/American Depository Receipt (ADRs) and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be decided by the Board, subject to the condition that the Government of India shareholding in equity capital of the Bank does not fall below 52 % at any point of time.

b. to decide the quantum & mode(s), number of tranches, prices, discount/premium, reservations to employees, existing shareholders and or any other persons as may be decided by the Board and as provided under SEBI regulations and the timing of such issue(s), at its discretion subject to the applicable Rules and Regulations and GoI & RBI approval under Section 5(2) of the State Bank of India Act,1955.

"**RESOLVED FURTHER THAT** the equity shares be offered and allotted by way of QIP/FPO/any other mode, as approved by GOI & RBI shall be in dematerialized form, except for Rights issue where the shares may be issued in both the physical and dematerialized form, and the equity shares/GDR/ADR so issued and allotted to NRIs, FII and/or other eligible foreign investors shall be subject to the Guidelines/rules & Regulations issued by RBI/SEBI"

"RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be offered and allotted by way of QIP/FPO/GDR/ADR/and /or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI & RBI shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP, the allotment of equity shares shall only be made to Qualified Institutional Buyers (QIBs) at a discount not exceeding 5%, if any, on the price determined in accordance with the pricing formula under SEBI (ICDR) regulations 2009, or such discount as may be specified by passing of the resolution and the relevant date shall be in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations 2009, as amended from time to time."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GoI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions for the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board be and is hereby authorized to take all such actions and do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any other consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to any Committee(s) of Directors , the Chairman or any of the Managing Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

Corporate Centre,
State Bank Bhavan,
Madame Cama Road,
Mumbai – 400 021

Date: 16.11.2016

ARUNDHATI BHATTACHARYA, Chairman

[ADVT.- III/4/Exty./52/16 (39)]

EXPLANATORY STATEMENT

Disclosures as required to be made in terms of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

Resolution No. 1:

a) Objects of the Preferential Issue:

To enable the Bank to meet CET-1 Capital requirement under Basel-III the Government of India has decided to infuse the amount to the tune of upto Rs. 5681crore (Rupees. Five thousand six hundred eighty one crore) (including premium) in the capital of the Bank by way of preferential issue of equity shares in favour of the Government of India.

b) Proposal of the promoter to subscribe to the offer:

The entire Preferential Issue of equity shares will be subscribed by the Government of India, the Promoter of the Bank.

c) Shareholding pattern of the issuer before and after the preferential issue:

Sl. No.	Category	Before the issue (As on 11.11.2016)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
i	Promoter's shareholding (Government of India)	467,16,34,652	60.18	**	**
ii	Public shareholding	309,11,42,390	39.82	309,11,42,390	**
iii	Total	776,27,77,042	100.00	**	100.00

** The total number of shares to be allotted to GoI will be calculated on the basis of the issue price to be determined as on the "relevant date" in terms of the pricing formula as prescribed in Regulation 76(1) of the SEBI ICDR Regulations. In terms of the aforesaid Regulation, the issue price shall not be less than the higher of the average of the weekly high and low of the volume weightage average price of the Bank's shares quoted on the stock exchange during the period of twenty six weeks preceding the "relevant date" or of two weeks preceding the "relevant date". The "relevant date" is the date 30 days prior to the date of the General Meeting of the shareholders held to consider the preferential allotment and if such date happens to fall on a Holiday/Weekend, then the preceding date is the reckoned "relevant date". The 'stock exchange' for the above purpose will be any of the recognized stock exchanges in which the equity shares are listed and in which the highest trading volume of the Bank's shares has been recorded during the preceding twenty six weeks prior to the relevant date.

The total value of the number of shares so issued (including premium) shall aggregate to not more than Rs. 5681 crore (Rupees Five thousand six hundred eighty one crore). For example, at an assumed Issue Price of **Rs. 258.00,** calculated based on an assumed "relevant date", the number of shares held by GoI post preferential allotment would be **489,18,28,450** shares and the total number of shares of the Bank post preferential allotment would be **798,29,70,840** shares and therefore, the percentage of shareholding of GoI post the preferential allotment will be **61.28%.** However, the actual number of shares to be issued and the shareholding pattern thereafter may increase or decrease based on the actual issue price to be determined on the basis of the actual relevant date.

d) Time within which the preferential issue shall be completed:

The allotment pursuant to this resolution passed by the shareholders, shall be completed within a period of fifteen days from the date of passing of this resolution, provided that if any approval or permission by any regulatory authority or the Central Government for allotment is pending, the period of fifteen days shall be counted from the date of order on such application or the date of approval or permission, as the case maybe.

e) Identity of the proposed Allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

As the entire issue is proposed to be allotted to Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, on preferential basis, there would not be any change in control as a result of the proposed preferential issue.

Identity of the Proposed Allottee	No of equity shares to be allotted	% of post issue shareholding
Govt. of India represented by the President of India (Promoter)	** as per the remarks given at c) above	** as per the remarks given at c) above

f) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and disclosures under Regulation 73(1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

g) All the equity shares to be issued and allotted to the Government of India pursuant to the proposed special resolution, shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval granted and the entire pre-preferential allotment shareholding of GoI will be locked in from the relevant date upto a period of six months from the date of trading approval, in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

h) The certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR Regulations will be tabled at the General Meeting on 20.12.2016

All the equity shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

Resolution No. 2:

Since the shareholders' approval for raising of capital upto Rs 15000 crore by way of Public Issue/QIP/GDR or a combination of both or any other mode will expire on 25.02.2017, we seek a fresh shareholders' approval for the proposed capital raising of upto Rs. 15000 crore by way of Public Issue/QIP/GDR or a combination of both or any other mode.

Public Issue [i.e. Further Public Offer (FPO)] or Rights Issue] or Private Placement including QIP,GDR/ADR, and /or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be approved by GoI & RBI.

The Guidelines on implementation of Basel III capital requirements in India have become effective from 1stApril, 2013 in a phased manner. The Guidelines will be fully phased in as on 31st March, 2019.The Bank's overall Capital Adequacy Ratio (CAR), as on 30th September, 2016, stands as 13.94%, with CET-I Capital at10.28%. The Central Board of the Bank has decided that the Bank should maintain minimum Capital Adequacy Ratios in line with the RBI Basel III transitional arrangements. However, based on the assumptions

of growth in Risk Weighted Assets (RWA) and plough back of profits, the Bank may require to raise additional Capital during FY17 & FY18.

The Bank requires adequate Capital to match the anticipated growth in assets and comply with stipulated level of capital adequacy, especially on account of requirement of the Capital Conservation Buffer (CCB) i.e. 0.625% every year from FY 15-16 to FY 18-19, Domestic Systemically Important Bank (D-SIB) capital requirement of 0.15% every year starting from 01.04.2016 to 01.04.2019 & Counter Cyclical Capital Buffer (CCCB). Accordingly, considering the business growth during the current year as well as that for the years to come, there is a need for higher capital, particularly, Tier-I capital. Targeting the end state Capital ratios, at the initial stage, will ensure smooth transition to FY19 Capital requirements. After evaluating the various available alternatives, as well as taking into consideration the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has planned to access capital market to raise capital, by issuing equity shares of Re.1 each, up to Rs.15000 crore (Rupees fifteen thousand crore) or such amount as may be approved by GoI & RBI subject to the condition that the Government of India shareholding in share capital of the Bank does not fall below 52% at any point of time, by way of Qualified Institutions Placement (QIP)/Further Public Offer (FPO)/Rights Issue/Global Depository Receipt (GDRs)/American Depository Receipt (ADRs)/and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be decided by the Board, in one or more tranches, subject to such terms and conditions as may be felt appropriate in the best interest of the Bank. The Bank is likely to receive approval from RBI & GoI to its recommendations for raising capital from the market and the mode thereof and in terms of Regulation 41 of the Listing Regulations with the Stock Exchanges, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to themon a proportionate basis.The detailed terms and conditions for issue of equity shares by way of FPO/QIP/GDRs/ADRs/and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI & RBI will be determinedby the Board in consultation with various intermediaries and such other concerned and appropriate authoritiesas may be required by considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares/GDR/ADR in one or more tranches, at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Boardin its absolute discretion deems fit.The Board of Directors, subject to compliance of all related statutory, regulatory or any other applicable Guidelines, Notifications and Circulars in connection with the proposed equity raising by way of public issue [(i.e. Further Public offer (FPO)] or QIP or Private Placement, including Global Depository Receipt (GDRs)/American Depository Receipt (ADRs) and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI & RBI, recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.

NOTES

(i) PROXY FORM & ATTENDANCE SLIP:

Bank's eligible shareholders are advised that the Proxy Forms andAttendance Slips are available inthe Secretariat of Chief General Managers of Bank's fourteen Local Head Offices, and Bank's websites: www.statebankofindia.com/www.sbi.co.in under the link Corporate Governance/SHAREHOLDERS INFO and also at the following offices:

(i) Shares & Bonds Department, 14th Floor, State Bank of India, Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai –400021, Telephone: (022) 2274 0841- 0848.

(ii) M/s. Datamatics Financial Services Ltd., Unit: State Bank of India, Plot No. B-5, Part B, Cross Lane, MIDC, Andheri (East), Mumbai-400093. Telephone: (022) 66712201-03.

Attendance Slips will also be available at the venue of the General Meeting on 20.12.2016.

Duly executed proxy forms, together with power of attorney or other authority (where applicable) under which it is signed, must be received at the Bank's Shares & Bonds Department, 14th Floor, State Bank of India, Corporate Centre, Madame Cama Road, Mumbai – 400 021 on or before 12.12.2016.

(ii) AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Shareholders, being a company, authorizing any of its officials or any other person to act as their representative in the General Meeting should deposit a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which such resolution was passed, at any of the following two offices of the Bank, on or before 15.12.2016:

(i) Shares & Bonds Department, 14th Floor, State Bank of India, Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai – 400021.

(ii) Secretariat of the Chief General Manager, State Bank of India, Local Head Office, Synergy, "C 6", G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.